प्रेस प्रकाशनी

12-03-2020

कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के सभापति ने आज, 12 मार्च, 2020 को लोक सभा में कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

संशोधित अनुमान चरण में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया।	समिति ने यह पाया है कि कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2610.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया था, जिसे, वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 819.98 करोड़ रुपये कर दिया गया। यहां तक कि इस वर्ष का आवंटन बीई, 2019-20 के 1097 करोड़ रुपये की तुलना में 25.25% कम है । वार्षिक बजटीय आवंटन में की गई इन कटौतियों से समिति ने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय की परियोजनाओं / योजनाओं / कार्यकलापों को पूरा करने में काफी कमी आएगी। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की कि कुल योजना आवंटन की समीक्षा की जाए और आरई चरण में बढ़े हुए आबंटन की मांग की जाए। **(सिफारिश सं. 2)**
वर्ष 2019-	कोयला मंत्रालय की अनुसंधान और विकास / एस एंड टी योजना कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सहायता देती

20 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की इष्टतम प्राप्ति के लिए आरएंडडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर बल दिया गया।	है और यह कोयला सचिव की अध्यक्षता में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से प्रशासित होती है। समिति ने यह पाया है कि बीई 2019-20 में 25 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास का प्रावधान किया गया, हालांकि, आरई चरण में आवंटन को घटाकर 22 करोड़ रुपये कर दिया गया, मंत्रालय ने दिसंबर, 2020 तक 18.78 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय अपने आरएंडडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य की इष्टम प्राप्ति करेगा। **(सिफारिश सं. 4)**
विशाल क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र योजना वित्तपोषण के तहत क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के लिए कोयला मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के दृष्टिगत आरई चरण में निधियों में वृद्धि करने पर बल दिया गया।	समिति ने यह नोट किया कि कोयला और लिग्नाइट के संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए कोयला मंत्रालय की कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करना है। यह योजना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जैसे सीएमपीडीआईएल , जीएसआई , एमईसीएल और राज्य सरकार की कंपनियां। इसके अलावा, विस्तृत ड्रिलिंग का लक्ष्य 'इंडिकेटेड और इन्फर्ड ' श्रेणी में आने वाले कोयला संसाधनों को 'प्रूवेन' श्रेणी में लाना है। समिति ने चिंता के साथ यह नोट किया है कि क्षेत्रीय अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग हेतु वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटन को वर्ष 2019-20 की तुलना में कम कर दिया गया है। जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान, क्रमशः 70 करोड़ रुपये और 630 करोड़ रुपये, अनुमोदित किए गए हैं, और वर्ष 2019-20 के दौरान, क्रमश: 120 करोड़ रुपये और 817 करोड़ रुपये का बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया था। अन्वेषण कार्यक्रम (2020-21) के तहत, कोयला मंत्रालय का लक्ष्य संसाधनों को प्रूव करना और नीलामी / आवंटन के लिए और अधिक कोयला ब्लॉक का पता लगाने के लिए तेजी से अन्वेषण करना है। इसके अलावा, जिन कोयला ब्लॉकों का विस्तृत अन्वेषण नहीं हो पाया है, उसके लिए लिए **'प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम-माइनिंग लीज'** आधार पर नीलामी / आवंटन किया जाना है। इसके अलावा, 3322 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए और 4343 वर्ग किलोमीटर को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) के वित्तपोषण के तहत विस्तृत अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया है। विशाल क्षेत्रों में सीएसएस वित्तपोषण के

	तहत क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण हेतु अपनी महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर, समिति को यह बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय का अनुपूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है। समिति का मत है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, अपनी अन्वेषण योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय के बजटीय सहायता को आरई चरण पर अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। **(सिफारिश सं. 6)**
वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए निधियों की कम उपयोगिता को देखते हुए कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।	समिति ने यह नोट किया है कि क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए आरई 2019-20 में 120 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय को घटाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह बताया गया है कि कि विस्तृत अन्वेषण में प्राथमिकता ड्रिलिंग और एमईसीएल, सीएमपीडीआई और राज्य सरकारों डीजीएमएस के सीमित संसाधनों के कारण, प्रस्तावित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और तदनंतर आवंटन और ड्रिलिंग लक्ष्य को कम कर दिया गया था । अब, आउटसोर्सिंग और 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण द्वारा, संभावित ड्रिलिंग 1.10 लाख मीटर है और इस पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च होगा। समिति की यह राय है कि मंत्रालय द्वारा अपने कार्यकलापों को चलाने के लिए आवश्यक निर्णित बजटीय आवंटन को आरई चरण में कम नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय खुद से प्रयास करे और आवंटित धन का इष्टतम उपयोग करे। क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए निधियों के कम उपयोग को देखते हुए, समिति यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और जो भी अड़चनें हो, वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं । **(सिफारिश सं. 7)**
कोयला खनन योजना में संरक्षण और सुरक्षा के तहत निधियों में पर्याप्त वृद्धि	समिति ने नोट किया है कि कोयले के संरक्षण के पहलू को नियोजन चरण से ही ध्यान में रखा जाता है और कार्यान्वयन चरण के दौरान अधिकतम रिकवरी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, कोयला खनन कार्य में वहां कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए कई अंतर्निहित, प्रचालानात्मक और कार्य संबंधी खतरे और संबंधित जोखिम होते हैं। इसलिए, कोयला कंपनियों के लिए सुरक्षा हमेशा एक सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और उनके मिशन विवरणों का एक मुख्य भाग

करने की सिफारिश की गई।	होता है। हालांकि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि 'कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा ' योजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन में कमी की जा रही है। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, इस योजना के तहत, क्रमशः 200 करोड़ रूपए, 59.50 करोड़ रूपए और 4.00 करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा प्रक्षिप्त 100 करोड़ रूपए की तुलना में इस योजना के तहत केवल 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि मंत्रालय के लिए सुरक्षा का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से सुरक्षा के पहलू में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं । समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि घातक दुर्घटनाएं 2018 में 33 से घटकर 2019 में 30 (9% की कमी) तक पहुंची हैं और 2018 में 43 मृत्यु से 2019 में 34 मृत्यु (21% की कमी) हो गई है जबकि घातक दुर्घटनाएं 2018 में 89 से 2019 में घटकर 86 हो गए हैं (3% की कमी) और 2018 में 98 लोगों को गंभीर चोटें लगी और 2019 में 90 लोगों (8% की कमी) को गंभीर चोटें लगी तक जो कि कोल इंडिया की स्थापना के बाद से सभी मापदंडों पर सबसे कम है। इसके अलावा, कोयला खदानों में सुरक्षा पहलुओं को महत्व देते हुए, मंत्रालय ने हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया था, जिसमें ''जीरो हार्म पोटेंशियल'' की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। समिति का सुविचारित मत है कि कोयला खनन उद्योग में उच्च उत्पादकता के बड़े लक्ष्यों को कोयला खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निरंतर प्रयासों के अनुकूल होना चाहिए और इसके लिए निधियो की कमी नहीं होनी चाहिए। समिति ने महसूस किया है कि यद्यपि कोयले की खदानों में मृत्यु संख्या में कमी आई है, इस संबंध में संख्या को और कम करने की नितांत आवश्यकता है जो केवल नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग और कौशल उन्नयन के लिए संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ और कोयला खनन क्षेत्रों में लगे कार्यबल के अपेक्षित प्रशिक्षण देने से ही संभव है और इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। **(सिफारिश सं. 10)**
कोयला मंत्रालय की	समिति को सूचित किया गया है कि लगभग 67% कोयले का उत्पादन सभी पीएसयूज़ में उन खानों से होता है, जिसमें 4 एमटीपीए और उससे अधिक के कोयला उत्पादन की क्षमता है। यह चिंता का

महत्वकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों में सड़क के अलावा कोयले की निकासी को 87% तक बढाने, संशोधन चरण पर बजटीय सहायता की बढोतरी की मांग की गई	विषय है कि वर्तमान में केवल 24% कोयले का एमजीआर / रेल / बेल्ट द्वारा निकासी की जाती है और बाकी की सड़क के ज़रिये ढुलाई की जाती है। तथापि, समिति ने नोट किया है कि कोयला मंत्रालय के पास इस प्रतिशतता को बढ़ाने की योजना है जिसके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी। समिति इस बात से खुश है कि मंत्रालय ने योजना के लिए क्रमश: 299.50 करोड़ रूपये , 140 करोड़ रूपये की निधि का 2017-18 और 2018-19 के दौरान इष्टतम उपयोग किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 130.50 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, मंत्रालय ने 75.46 करोड़ (दिसंबर 2019 तक) रु का उपयोग किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय के कार्यनिष्पादन को देखते हुए, समिति को उम्मीद है कि 2019-20 के दौरान आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। इसके साथ-साथ, समिति यह नोट करके चिंतित है कि हालांकि मंत्रालय ने इस योजना के लिए 160 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया था, 2020- 21 के दौरान केवल 84.48 करोड़ आवंटित किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष के 130.50 करोड़ के आवंटन से भी कम है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने, कार्यकुशलता में वृद्धि और लागत को प्रभावी बनाने और अगले 5 वर्षों में सड़क के अलावा कोयले की निकासी को 87% तक बढ़ाने के लिए सरकार/कोयला कंपनियों की महत्वाकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पिट हेड क्रशर/मोबाइल क्रशर की एकीकृत स्थापना, कन्वेयर बेल्ट , कोल हैंडलिंग प्लांट, साइलो, रैपिड लोडिंग सिस्टम आदि को शामिल किया जाएगा, समिति चाहती है कि इस योजना के तहत सरकार वर्ष 2020-21 के लिए स. अ. स्तर पर बजटीय सहायता को बढ़ाए। **(सिफारिश सं. 11)**
एसएसआरसी द्वारा एसएंडटी परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद एनई क्षेत्र में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण अपेक्षित है।	समिति ने नोट किया कि आरएंडडी, क्षेत्रीय अन्वेषण, विस्तृत ड्रिलिंग और ईएमएससी की योजनाओं के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए 82.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो कि ब. अ. 2019- 20 के 109.70 करोड़ के की तुलना में कम है। यह देखते हुए कि विस्तृत अन्वेषण और संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए बजट के उत्तर-पूर्व घटक का उपयोग मध्यम से घने वन आवरण, बीहड़ स्थलाकृति और ख़राब कानून और व्यवस्था की स्थितियों जैसी बाधाओं और अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण नहीं किया जा सकता है, समिति यह जानकर खुश है कि डीजीएम (नागालैंड) द्वारा चंगकी बी ब्लॉक में प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण प्रगति पर है और 2019-20 (जनवरी,

	2020 तक) के दौरान लगभग 702.00 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त , लंबे प्रयासों के बाद, सीएमपीडीआई को फाटापारा ब्लॉक, सिंगरीमारी कोलफील्ड, असम में प्रोमोशनल अन्वेषण और कोठ–अरदा ब्लॉक, मिकिर हिल्स कोलफील्ड, असम में क्रमश: दिसंबर, 2019 और जनवरी, 2020 में विस्तृत अन्वेषण के तहत ड्रिलिंग के माध्यम से एक सफलता मिली है। समिति ने इस तथ्य को भी नोट किया कि अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट के उत्तर पूर्व घटक का उपयोग उत्तर पूर्व में स्थित संस्थानों / संगठनों की ठंडी प्रतिक्रिया और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को लेने के लिए अन्यत्र स्थित संस्थानों की अनिच्छा के कारण भी नहीं किया जा सका है। इस बीच, एनईआर से संबंधित एक एस एंड टी परियोजना की सिफारिश को एसएसआरसी की तकनीकी उप–समिति द्वारा विचारार्थ लिया गया है और एनईआर से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में उनकी व्यापक भागीदारी और कोयला क्षेत्र के लिए फायदेमंद होने के कारण लगभग 70 शैक्षणिक संस्थानों / अनुसंधान संगठनों / एजेंसियों (23 आईआईटी और 32 एनआईटी सहित) के साथ प्रयास जारी है। मंत्रालय / कोयला कंपनियों द्वारा उत्तर पूर्व और अन्य जगहों पर स्थित संस्थानों को अधिक आरएंडडी परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि एसएसआरसी द्वारा एस एंड टी परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद एनई क्षेत्र में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण जल्द ही आरम्भ हो जाएगा। **(सिफारिश सं. 12)**
नीलामी प्रक्रिया और कोयला खानों के आवंटन को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की	समिति ने नोट किया कि 2018-19 के दौरान कोयले की कुल मांग के 969.47 मीट्रिक टन के मुकाबले, स्वदेशी आपूर्ति 734.23 मीट्रिक टन थी और 235.24 मीट्रिक टन (24.26%) के अंतर को वर्ष के दौरान आयात से पूरा किया गया था।इसके अलावा, आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों के आवंटन पर विचार कर रही है। इस संबंध में, कोयले की बिक्री के लिए प्रमुख नियम और शर्तों (रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस) के लिए कोयला खदानों की नीलामी पर चर्चा पत्र 80 कोयला खदानों की सूची के साथ 14.01.2020 पर हितधारकों के लिए प्रकाशित किया गया है [कोयला खदानों के तहत 68 कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 12 कोयला खानें] और सीसीईए से राजस्व हिस्सेदारी आधारित बोली पद्धति के

सिफारिश की गई।	अनुमोदन के लिए प्रक्रिया चल रहा है।इसके अलावा, माइन डोजियर तैयार करने और बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का काम भी चल रहा है। पहला भाग चालू वित्त वर्ष में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी के माध्यम से कोयला खानों के प्रस्तावित आवंटन की सराहना करते हुए, समिति की इच्छा है कि नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और कोयला खदानों के आवंटन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। समिति को लगता है कि कोयला उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यह दूरगामी कदम साबित होगा और कोयले के आयात पर सरकारी खजाने से खर्च किए गए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का उपयोग देश में अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। **(सिफारिश सं. 15)**